

Speed Post

भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्थान)
डाकघर-कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड, जोधपुर-342005

I.C.F.R.E.- ARID FOREST RESEARCH INSTITUTE

(Indian Council of Forestry Research & Education,
An Autonomous Body of the Ministry of Environment, Forests & Climate change, Govt. of India)
PO: Krishi Upaz Mandi, New Pali Road, Jodhpur - 342 005
Tel. No. 0291-2722549 (O)/2722764 (Fax)



क्रमांक: 1163/शुवअसं/सुएवंसे/कय/ सुएवंसे(अगृएवंवैछाप्र)/311(2)/लि.नि./2023 दिनांक: 31/10/23

1163
सेवा में,

विषय: भावाअशिप-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अतिथि गृह एवं वैज्ञानिक छात्रावास के संचालन तथा भोजन व्यवस्था के लिए एक वर्ष हेतु दर अनुबन्ध (One year rate contract of Guest House and Scientist Hostel House keeping and Mess Services) का लिमिटेड टेण्डर बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में लिमिटेड टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। विषय लिखा हुआ बंद लिफाफा इस कार्यालय में दिनांक 20-11-2023 दोपहर 3.30 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक 20-11-2023 को 4.00 बजे प्राप्त टेण्डर खोले जायेंगे। अगर आप इच्छुक हों तो टेण्डर खुलने के समय स्वयं उपस्थित हो सकते हैं अथवा अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

टेण्डर फार्म प्राप्त करने की जानकारी

- अधिक जानकारी हेतु श्री रतना राम लोहरा, प्रभारी अधिकारी, अतिथि गृह एवं सहायक सेवाएँ प्रकोष्ठ, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, भावाअशिप-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।
- टेण्डर फार्म शुल्क 590/- (500/-+90/- (जी.एस.टी. 18 प्रतिशत) सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर लेटर हैड एवं जी.एस.टी. के प्रमाण पत्र के साथ कय अनुभाग को प्रस्तुत करके कार्यालय समय 01.11.2023 को 10.00 बजे से 17.11.2023 के 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं और टेण्डर फार्म दिनांक: 17.11.2023 को शाम 5.30 बजे के बाद जारी नहीं किये जाएंगे। साथ ही टेण्डर फार्म डाउनलोड करके टेण्डर फार्म शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम बना कर भेजा जा सकता है। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त टेण्डर फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- वेबसाईट afri.icfre.org से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। पूर्ण रूप से नहीं भरे निविदा प्रपत्र को रद्द किया जायेगा। सभी दस्तावेजों संलग्न करना एवं सभी दस्तावेजों के पृष्ठों पर फर्म की मोहर सहित हस्ताक्षर किये जाना अनिवार्य है।
- सम्पर्क सूत्र: 0291-2729121, 2729125 एवं 2729108

भवदीय,

(मनोज चौहान)
कय अधिकारी

प्रतिलिपि:- लिमिटेड टेण्डर खोलने की नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें:-

- आहरण एवं संवितरण अधिकारी, भावाअशिप-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
- प्रभारी अधिकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, द्वारा: प्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, भावाअशिप-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- आपसे अनुरोध है कि यह लिमिटेड टेण्डर की सूचना एवं टेण्डर फार्म को वेब साइट पर देने का श्रम करें।
- श्री रतना राम लोहरा, प्रभारी अधिकारी, अतिथि गृह एवं सहायक सेवाएँ प्रकोष्ठ, द्वारा: प्रभागाध्यक्ष, सुविधा एवं सेवा प्रभाग, भावाअशिप-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।
- सूचना पट्ट

आवक क्र./Inward No. 211/ATI/AR/Ju/12,
दिनांक: 31/10/2023

कमांक: /शुवअसं/सुएवंसे/कय/ सुएवंसे(अगृएववैछाप्र)/311(2)/ई.नि./2023 दिनांक:

(Price: Rs. 590/-)

अतिथि गृह एवं वैज्ञानिक छात्रावास के
संचालन तथा भोजन व्यवस्था के लिए एक वर्ष
हेतु दर अनुबन्ध लिए लिमिटेड टेण्डर

LIMITED TENDER FOR ONE YEAR RATE
CONTRACT OF GUEST HOUSE AND SCIENTIST
HOSTEL HOUSE KEEPING AND MESS SERVICES

Last Date & Time of Submission of Tender : 20.11.2023 Upto 3.30 PM
Date & Time of Opening of the Tender : 20.11.2023 after 4.00 PM

भा.वा.अ.शि.प.-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
I.C.F.R.E-Arid Forest Research Institute
डाकघर: कृषि उपज मण्डी, न्यू पाली रोड़,
P.O. : Krishi Upaz Mandi, New Pali Road,
जोधपुर-342005 (राजस्थान)
Jodhpur 342 005 (Rajasthan)

विवेचित समय -सारिणी

लिमिटेड निविदा दस्तावेज़ बिक्री शुरू होने की तारीख	दिनांक 01 - 11- 2023 प्रातः 10.00 बजे
लिमिटेड निविदा दस्तावेज़ बिक्री समाप्ति की तारीख	दिनांक 17 - 11-2023 सांय 05.00 बजे
लिमिटेड निविदा जमा किए जाने की आरंभ की तारीख	दिनांक 01 -11 -2023 दोपहर 2.00 बजे
लिमिटेड निविदा जमा किए जाने की समाप्ति की तारीख	दिनांक 20- 11-2023 दोपहर 3.30 बजे
लिमिटेड निविदा खुलने की तारीख	दिनांक 20-11 -2023 दोपहर 4.00 बजे

अग्रेषण पत्र
(निविदा दाता द्वारा भरा जाना है)

सेवा में,

निदेशक

भा.वा.अ.शि.प-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
डाकघर : कृषि उपज मंडी, भगत की कोठी
न्यू पाली रोड , जोधपुर-342005 (राजस्थान)

विषय : शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अतिथि गृह, वैज्ञानिक छात्रावास के संचालन (House Keeping) तथा भोजन व्यवस्था (Mess services) के लिए एक वर्ष हेतु दर अनुबंध लिमिटेड निविदा

संदर्भ : आपकी लिमिटेड निविदा सूचना क्रमांक: /शुवअसं/सुएवंसे/कय/ सुएवंसे(अगुएवंवैछाप्र)/311(2)/ई.नि./2023
दिनांक:

महोदय,

आपके निविदा प्रपत्र में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार वर्ष हेतु शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अतिथि गृह, वैज्ञानिक छात्रावास के संचालन तथा भोजन व्यवस्था (Mess services) के लिए एक वर्ष हेतु दर अनुबंध के लिए लिमिटेड निविदा प्रस्तुत की जाती है।

निविदा शुल्क के लिए निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को देय रुपये 590/- (अक्षरे रुपये पांच सौ नब्बे मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट क्र°.....दिनांकआपके कार्यालय में दिनांकको प्रस्तुत कर दिया है।

लिमिटेड निविदा संबंधी सभी निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। लिमिटेड निविदा की निबंधन एवं शर्तों की पालना करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

लिमिटेड निविदा पत्र के सभी पृष्ठों मय निबंधन एवं शर्तों पर विधिवत हस्ताक्षर कर दिये गए हैं तथा अनुसूची 'ग' के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
मोहर सहित हस्ताक्षर
नाम तथा पूरा पता

भा.वा.अ.शि.प-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान , जोधपुर
लिमिटेड निविदा प्रपत्र - क (निविदादाता का विवरण)

1.	निविदादाता का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2.	निविदादाता के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
3.	निविदादाता की फर्म का नाम	
4.	फर्म का पूर्ण स्थायी पता	
5.	निविदादाता की पंजीकरण/टीन (TAN) संख्या	
6.	मोबाइल नंबर, फोन नंबर और ई मेल नंबर	
7.	जी.एस.टी. संख्या (GSTNo)	
8.	पैन संख्या (PANNO.)	
9.	फर्म के बैंक का वर्तमान नाम, पूर्ण पता और खाता संख्या	

कार्य का विवरण

भा.वा.अ.शि.प-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अतिथि गृह, वैज्ञानिक छात्रावास के संचालन (House Keeping) तथा भोजन व्यवस्था (Mess services) के लिए एक वर्ष के लिए दर अनुबंध हेतु अनुसूची क और ख विवरण अनुसार।

05. पिछले दो वर्षों { वित्तीय वर्ष 2020-21 (कर निर्धारित वर्ष 2019-20) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 (कर निर्धारित वर्ष 2020-21)} वित्तीय वर्ष 2022-23 (कर निर्धारित वर्ष 2021-22) के आय कर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं छायाप्रति।
06. GST Registration प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित छायाप्रति।
07. निविदा शुल्क व धरोहर राशि (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट छायाप्रति।
08. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लाइसेंस की छायाप्रति।
09. फर्म के बैंक का वर्तमान नाम, पूर्ण पता और खाता संख्या की छायाप्रति।

नोट:- तकनीकी प्रस्ताव केवल अर्हक प्रकृति (Qualifying Nature) के हैं, उक्त दस्तावेजों के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जाएगी। सभी दस्तावेजों पर उक्तानुसार क्रम संख्या अंकित कर इसी क्रम में अपलोड करें।

04. मूल्य प्रस्ताव (Price Bid)

निविदा प्रपत्र में मूल्य प्रस्ताव (Price Bid) की दरे निम्नलिखित शर्तों की पालना करते हुए भरी जानी है।

- (क) निविदादाता को सुझाया जाता है कि वे निर्धारित जगह पर दर का उल्लेख करें। निविदादाता दर में किसी तरह का हेर-फेर/आशोधन न करें। ऐसा पाए जाने पर निविदा पूर्णतया अस्वीकार करते हुए धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदादाता को संस्थान में किसी तरह के कारोबार किये जाने से वंचित रखा जाएगा।
- (ख) न्यूनतम मजदूरी दरों में होने वाली बढ़ोत्तरी का श्रम कानून, नियम एवं अधिनियम के तहत भुगतान सफल फर्म को करना होगा। यद्यपि मंत्रालय समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करेगा।
- (ग) दोनों फर्मों के पिछले पाँच वर्षों के कुल प्राप्त सरकारी विभागों के प्राप्त संबन्धित कार्यों की निविदाओं की संख्याओं भी यदि समान होती है, तो कुल निविदाओं में से संतोष जनक की गई निविदाओं के कार्यदेशों की संख्या के आधार पर, जिस फर्म की निविदाओं के कार्यदेशों की संख्या होगी उसके साथ अनुबंध किया जायेगा।
- (घ) ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मियों को श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर नहीं दी जाएगी। ठेकेदार लाभ केवल प्रतिशतता दर में निर्धारित जगह में दिया जाना होगा जिसमें देय EPF, ESI, अन्य कर सम्मिलित नहीं होना चाहिए। दी हुई प्रतिशत दर पूरे ठेके की अवधि पर्यंत समान रहेगी हालांकि न्यूनतम मजदूरी दरों में समय-समय पर होने वाली बढ़ोत्तरी का श्रम कानून, नियम एवं अधिनियम के तहत भुगतान सफल फर्म को करना होगा। तदनुसार निर्धारित जगह को भरा जाए।
- (ङ) ठेकेदार को नियोजित कर्मियों को श्रम मंत्रालय के निर्देशों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा जिसमें समय समय पर होने वाली बढ़ोत्तरी भी सम्मिलित होगी तथा इस आशय से संबन्धित कर्मियों के प्रत्येक भुगतान का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, तदनुसार निर्धारित जगह में दरें दी जानी होंगी।
- (च) निविदादाता को सभी मदों की दरें निर्धारित जगह में देनी होंगी। निविदादाता द्वारा दी गई दरें स्वतः ही यह मानी जाएंगी कि वे निर्धारित जगह में सभी मदों के लिए हैं।
- (छ) प्रवर्तित श्रम कानूनों के तहत EPF, ESI एवं अन्य कर सफल फर्म को करने होंगे।
- (ज) EPF, ESI एवं अन्य कर केवल न्यूनतम मजदूरी पर ही सफल फर्म को करने होंगे, ठेकेदार के लाभ पर नहीं।
- (झ) दर F.O.R. शु.व.अ.सं., जोधपुर के लिए दी जाए।

धरोहर राशि का विवरण

धरोहर राशि रुपये 50,000.00 (अक्षरे पचास हज़ार मात्र)

जमा धरोहर राशि	डिमांड ड्राफ्ट नंबर	जारीकर्ता बैंक का नाम	जारी करने की तारीख

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय तारीख एवं मोहर

निबंधन एवं शर्तें

01. निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जाना

निविदादाता को निविदा प्रपत्र के मूल्य के तौर पर रुपये 590/-का डिमांड ड्राफ्ट अथवा पोस्टल ऑर्डर निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पक्ष में बना कर कार्यालय समय नियत समयावधि तक प्राप्त किये जा सकते हैं और निविदा प्रपत्र प्राप्त करते समय फर्म का लेटर हेड लाना होगा!

02. निविदा प्रस्तुत किया जाना

निविदादाता को निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में नियत समयावधि तक जमा किये जा सकते हैं और निविदा प्रपत्र प्राप्त करते समय फर्म का लेटर हेड लाना होगा!

03. तकनीकी प्रस्ताव (Technical Bid)

निविदा दस्तावेज़ के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति तकनीकी प्रस्ताव के साथ निविदादाता को की जानी होगी:

1. विधिवत भरा हुआ निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हों।
02. ठेकेदार जिनके यहाँ 20 या अधिक श्रमिक नियोजित हों से संबन्धित सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के लाइसेन्स, वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित छायाप्रति। ठेकेदार का घोषणा पत्र कि उसके यहाँ 20 या अधिक श्रमिकनियोजित नहीं है।
03. समरूप/समान कार्य पूर्व में किए जाने संबंधी दावे के समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य
04. PAN की कॉपी।

(ज) निविदा प्रपत्र में मूल्य प्रस्ताव (Price Bid) की दरे उक्त शर्तों की पालना करते हुए भरी जा रही है।

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	दर
1	अतिथि गृह एवं वैज्ञानिक छात्रावास के संचालन तथा भोजन व्यवस्था के लिए दर	
2	जी.एस.टी.	
3	कुल राशि (एक वर्ष की अवधि के लिए)	
		निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मोहर

05. धरोहर राशि जमा करना

- (क) निविदादाता को धरोहर राशि के रूप में मूल्य प्रस्ताव की कुल राशि का दो प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक का निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम से बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के बिना निविदा अस्वीकार होगी।
- (ख) निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद सभी असफल निविदादाताओं की जमा धरोहर राशि उन्हें तत्काल लौटा दी जाएगी।

06. निविदा खुलना

- (अ) विवेचित समय - सारिणी में दर्शाये दिनांक/समय अनुसार निविदा खोली जाएगी।
- (आ) निविदादाता को निविदा खोले जाने के समय संस्थान में उपस्थित रह सकते हैं।

07. निदेशक, भा.वा.अ.शि.प- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को अधिकार होगा कि

- (क) प्रस्ताव को पूर्णतया अथवा उसके किसी भाग को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार कर दें।
- (ख) प्राप्त सभी प्रस्ताव अथवा किसी प्रस्ताव को पूर्णतया अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकार कर दें।
- (ग) निविदा सूचना को रद्द कर दें अथवा वापिस ले लें।
- (घ) किसी निविदा या उसके भाग को रद्द कर दें अथवा स्वीकार करें।
- (ङ) निविदा प्रस्ताव की शर्तों के विचलन/अंतर को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर दें।

08. प्रस्ताव की वैधता

- (क) निविदा में दिया गया प्रस्ताव (Offer) निविदा खुलने की तारीख से छह माह के लिए वैध होगा।
- (ख) निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख एवं समय के पश्चात किए जाने वाले अकारण पत्राचार की दशा में निविदा/प्रस्ताव अमान्य समझा जाएगा। निविदादाता को उनके हित में सुझाया जाता है कि निविदा के विनिर्दिष्ट समय पश्चात अनपेक्षित किसी प्रकार का पत्राचार करने से बचें।
- (ग) निविदा खुलने के पश्चात किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा आशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
- (घ) फैक्स, ई-मेल, डाक से भेजे जाने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (ड) निविदा की वैधता हेतु निविदा दस्तावेज़ पर हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं को यह स्पष्ट करना होगा कि वह/वे किस प्राधिकार से निविदा प्रस्तुत कर रहा है/रहे हैं यथा पूर्ण स्वामित्व/निर्माणकर्ता/साझेदार/प्रतिनिधि (अटार्नी) (साक्ष्य दिया जाना होगा) के तौर पर अथवा अधिकृत डीलर/प्रतिनिधि/ (साक्ष्य दिया जाना होगा) के तौर पर। निविदा के साथ अपेक्षित होने पर प्राधिकार पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा अस्वीकार की जाएगी।
- (च) फर्म को उपर्युक्त निबंधन एवं शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर मोहर लगानी होगी।

09. सफल निविदादाता द्वारा आपूर्ति करना

- (क) आपूर्ति पत्र/ कार्यदेश की प्राप्ति पर, निविदादाता पक्ष को आदेश में निर्दिष्ट समय अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे तथा कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म को काली सूची (Black List) में डाला जा सकता है।
- (ख) शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के पास किसी भी निविदा पर सम्पूर्ण रूप से या उसके अंश पर आदेश देने का अधिकार है।

10. कार्य आदेश जारी होना

- (क) सामान्यतया न्यूनतम मजदूरी पर ठेकेदार लाभ प्रतिशत न्यूनतम देने वाले निविदादाता को कार्य का ठेका दिया जाएगा जिनके पास संबन्धित कार्यों का निष्पादन संबंधी पिछले दो वर्षों का पर्याप्त अनुभव होगा तथा जिन्हें कार्य आदेश जारी हुए होंगे।
- (ख) सफल निविदादाता को कार्य दिये जाने पर संबन्धित निविदादाता को रुपये 500/- के गैर - न्यायिक स्टॉप पेपर पर निर्धारित प्रारूप में करार किया जाना होगा। (जिसे बाद में करारनामा कहा जाएगा)
- (ग) विधिवत हस्ताक्षरित 'करारनामा' सफल निविदादाता से प्राप्त होने पर संबन्धित कार्य सफल निविदादाता को सौंपा जा सकेगा (जिसे बाद में ठेकेदार कहा जाएगा)।
- (घ) यदि कोई निविदादाता जिसे उसके द्वारा दी गई दर पर कार्य का प्रस्ताव मिला है निदेशक के साथ 'करार' करने में 'कार्य आदेश' जारी होने की तारीख से सात दिन के अंदर असफल हो जाता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि संस्थान के बतौर राजस्व जब्त कर ली जाएगी तथा प्रस्ताव अगले निविदादाता को चूककर्ता निविदादाता की कीमत व जोखिम पर दिया जाएगा।
- (ड) सफल निविदादाता के साथ करारनामा हस्ताक्षरित होते ही सभी असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि लौटा दी जाएगी।
- (च) निविदादाता के खिलाफ ई. पी.एफ./ई.एस.आई./न्यूनतम मजदूरी एक्ट के अधीन किसी प्रकार का लीगलसूट/ आपराधिक मामला लम्बित नहीं होना चाहिए।

11. जमानत राशि

- (क) सफल निविदादाता को उसके द्वारा दी गई दर के अनुसार कुल कार्य की 10 % प्रतिदेय जमानत राशि जमा करनी होगी। जमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी।
- (ख) सफल निविदादाता या उसके द्वारा नियोजित कर्मियों में से किसी के द्वारा जानबूझ कर या लापरवाही के कारण, ठेकेदार द्वारा प्राप्त की गई किसी सामग्री या औजारों, उपकरणों (साधन) के टूटने या नुकसान होने पर नुकसान की कुल कीमत पारित बिलों से तथा/या सफल निविदादाता की जमा जमानत राशि से वसूली जाएगी।
- (ग) सफल निविदादाता या उसके द्वारा लगाए गए कर्मियों में से किसी के द्वारा जानबूझ कर की गयी अनदेखी या लापरवाही से शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर को हुई क्षति या कार्य निष्पादन न

करने, कार्य निष्पादन में विलंब करने या सफल निविदादाता को दिये गए कार्य को अनुचित ढंग से किए जाने की दशा में हुई क्षति की कुल कीमत पारित बिल तथा /या सफल निविदादाता की जमा जमानत से की जाएगी।

- (घ) सफल निविदादाता द्वारा कार्य निष्पादन न करने पर जमा जमानत जब्त कर लिया जाएगा।
(ङ) संविदा के सफलता पूर्वक निष्पादित होने पर उपर्युक्त पैरा क व ख के प्रावधानानुसार आवश्यक कटौती करने के पश्चात जमा जमानत की शेष राशि निविदादाता को लौटा दी जाएगी।
(च) निविदादाता द्वारा जमा जमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

12. बिलों का भुगतान

(क) सफल ठेकेदार अपनी तरफ से दो कर्मी (01 कुशल रसोईया व 01 रसोईया सहायक/हाऊसकिपिंग अकुशल) नियुक्त करेगा जिसका भुगतान ठेकेदार स्वयं करेगा तथा आफरी ठेकेदार को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा। अतिथि गृह में जरूरत के मुताबिक या पर्यटन सीजन (अक्टूबर से फरवरी) में ठेकेदार आवश्यकतानुसार 01 या दो अतिरिक्त कुशल/अकुशल रसोईये/कर्मी लगाकर स्वयं के स्तर पर भुगतान करेगा तथा आफरी इस संबंध में कोई भुगतान नहीं करेगा। आफरी की तरफ से अतिथि गृह में एक पर्यवेक्षक व एक परिवारक नियमित कर्मचारी (एम. टी.एस) सहायतार्थ उपलब्ध होंगे जिनका वेतन आफरी संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ख) ठेकेदार को नियोजित कर्मियों को श्रम मंत्रालय के निर्देशों के तहत निर्धारित समयानुसार परिशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा जिसमें समय समय पर होने वाली बढ़ोत्तरी भी सम्मिलित होगी तथा इस आशय से कर्मियोंके प्रत्येक भुगतान का प्रमाणपत्र, बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति अगले बिल के भुगतान से पूर्व संबन्धित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होगा।

13. कार्यक्षेत्र(Scope of work) एवं शर्ते

1. नियोजित कर्मी

संविदाकार को इस अनुबंध के तहत खान पान के साथ-साथ अतिथिगृह एवं वैज्ञानिक छात्रावास के रखरखाव कार्य भी कराना होगा। उन्हें इस कार्य के लिए कम से कम 02 व्यक्ति (एम.टी.एस, आफरी, जोधपुर के रहेंगे एवं 01 कुशल रसोइया ठेकेदार को रखना होगा। कुशल रसोइया का केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मजदूरी संविदाकार द्वारा देय होगी। विभिन्न कर्मियों हेतु न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव

(क) रसोइया - कुशल (वरिष्ठ रसोइया/कनिष्ठ रसोइया)

कार्य पर लगाया जाने वाला कर्मी न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए तथा किसी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी फर्म में व्यक्ति को कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। रसोइया का कौशल परीक्षण किया जाएगा। वह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों जैसे बंगाली, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय आदि बनाने में निपुण होना चाहिए। अनुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) रसोइया सहायक अकुशल (विभिन्न प्रयोजन हेतु) कार्य पर रखा जाने वाला कर्मी न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।

2. कामगारों का विवरण:

संविदाकार अतिथिगृह में कार्य करने के लिए अनुमोदन के लिए कामगारों की सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें उनके स्थानीय/स्थायी पता, संपर्क विवरण तथा फोटो आदि सहित पूर्ण ब्यौरा होगा। संस्थान को किसी या सभी नामों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा। केवल उन्हीं

कामगारों को जिन्हें शु.व.अ.सं. द्वारा अनापत्ति मिल गयी है को अतिथि गृह परिसीमा में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

संविदाकार को उसके द्वारा लगाए गए व्यक्तियों को कार्य के समय लगाए रखने के लिए फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। ये कार्ड हमेशा लगाने होने तथा इनके गुम होने पर तत्काल सूचित किया जाना होगा।

3. कामगारों का आचरण:

- (i) अतिथि गृह का स्टाफ अपने किसी मेहमानों/बाहरी व्यक्तियों का अतिथिगृह की परिसीमा में सत्कार नहीं करेंगे तथा सामान्यतः अतिथि गृह प्रभारी की अनुमति के बिना अतिथि गृह की परिसीमा नहीं छोड़ेंगे।
- (ii) संविदाकार अपने स्टाफ को वर्दी उपलब्ध कराएगा। निर्धारित समय के दौरान सभी कामगार वर्दी में रहेंगे तथा कोई भी किसी भी समय बनियान/निकर या अशोभनीय कपड़ों में दिखाई नहीं देना चाहिए।
- (iii) संविदाकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने स्टाफ के शालीन व्यवहार के प्रति उत्तदायी होगा तथा उन पर उचित रूप से नियंत्रण करेगा। समुदाय या संपत्ति के हित में हानिकारक या प्रतिकूल कार्य हेतु संविदाकार उसके लिए उत्तरदायी होगा तथा संस्थान को होने वाले नुकसान या क्षति या किसी अन्य आधार पर दावों के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति करेगा।
- (iv) संस्थान परिसर में तथा विशेषकर अतिथिगृह/वैज्ञानिक छात्रावास के पूरे क्षेत्र में संविदाकर्मियों द्वारा धूम्रपान/मदिरापान कतई वर्जित है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (v) यदि संविदाकार या उसके कामगारों द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षा विनियमों का अनुसरण न करने के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है। तो संविदाकार शु.व.अ.सं. द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए नुकसान की भरपाई हेतु जिम्मेदार होगा। संस्थान को ऐसे नुकसानों की वसूली संविदाकार को देय बकाया राशि/या जमा जमानत आदि से करने का अधिकार होगा।
- (vi) किसी भी प्रयोजन से संविदाकार के स्टाफ (कामगार) को संस्थान कर्मी नहीं माना जाएगा। संविदाकार उपर्युक्त कार्य करने में समय-समय पर लागू सभी श्रम कानूनों के वैधानिक प्रावधानों के कड़े अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (vii) संस्थान में कार्य में लगाये जाने वाले स्टाफ अच्छे चरित्रवान होने चाहिये, अतः ठेकेदार समस्त स्टाफ के चरित्र प्रमाण पत्र (जो सरपंच, वार्डपंच, पार्षद, चुने हुए प्रतिनिधि या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो) संस्थान में प्रस्तुत करेगा।

4. कामगारों के लिए वेतन भुगतान की तारीख :

संविदाकार को प्रत्येक माह की 10 तारीख को पिछले माह के कार्य के लिए कामगारों के वेतन का भुगतान सफल फर्म को करना होगा। भुगतान में कोई विलंब होने पर प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। भुगतान संविदाकार लगाए गये सभी कामगार सदस्यों को वेतन पर्ची जारी करेगा तथा समयानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से स्टाफ खाते में वेतन का भुगतान करेगा। संविदाकार सभी कामगारों का नजदीकी बैंक में अपने खर्च पर बैंक खाते खुलवाने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव:

संविदाकार को सभी कामगारों का उपस्थिति रिकॉर्ड रखना होगा तथा प्रभारी, अतिथिगृह, शु.व.अ.सं. उसे प्रमाणित करेंगे।

6. कामगारों की दुर्घटना या चोट:

संविदाकार द्वारा रखे किसी कामगार या अन्य व्यक्ति की दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप किसी नुकसान या प्रतिपूर्ति का दावा बीमा कंपनी के माध्यम से दिलाने हेतु संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। संविदाकार ऐसे सभी नुकसान और मुआवजे की क्षतिपूर्ति करेगा तथा इस संबंध में संस्थान को सूचित करेगा।

7. कार्यरत कामगारों का शारीरिक स्वास्थ्य :

- (i) संविदाकार सभी कार्यों के लिए केवल अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य वाले स्वस्थ प्रशिक्षित वयस्कों को कार्य पर रखेगा।
- (ii) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा की सभी कामगार संचारी/संक्रामक रोगों से मुक्त हों तथा अतिथि गृह में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। यदि आवश्यक हुआ तो शु.व.अ.सं. द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा।
- (iii) संविदाकार अपने सभी कामगारों के लिए आवधिक रूप से 12 माह में एक बार योग्य आर.एम.पी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

8. संस्थान के सुरक्षा एवं संरक्षा विनियमों का अनुपालन :

- (i) संविदाकार अपने कामगारों के समय- समय पर संस्थान द्वारा जारी किए जा सकने वाले विनियमों और निर्देशों के पालन के प्रति उत्तरदायी होगा। इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदाकार अपने कामगारों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो तथा शु.व.अ.सं. प्राधिकारी को इस बारे में सूचित किया जाना होगा।
- (ii) संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उनके कामगार अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान प्राप्त हुई संस्थान की सूचना को गोपनीय रखे तथा बिना अनुमति के तीसरे पक्ष के समक्ष अनधिकृत प्रकटीकरण न करें।
- (iii) अतिथि गृह परिसीमा के भीतर किसी संरचना तथा संपत्ति के नुकसान या क्षतिग्रस्त होने पर शु.व.अ.सं. की संतुष्टि अनुसार संविदाकार सभी सामग्रियों/वस्तुओं को उपलब्ध करने हेतु उत्तरदायी होगा। यदि ऐसी हानि या क्षति गलती तथा/या अनदेखी या जानबूझ कर किया गया कार्य अथवा संविदाकार द्वारा की गयी चूक, उसके कामगारों, एजेन्टों या प्रतिनिधियों के कारण होती है तो प्रभारी अधिकारी शु.व.अ.सं. द्वारा किए मूल्यांकन अनुसार सामग्री/वस्तुओं के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

9. धरोहर राशि की जब्ती :

यदि पार्टी उसके द्वारा मूलतः उद्धृत दर पर या बाद में समझौते की दर पर जारी कार्य आदेश को स्वीकार करने में विफल रहती है या जैसी स्थिति हो तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। सभी पृष्ठों पर बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर होनी आवश्यक है जिन्हे तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के साथ जमा किया जाना होगा।

10. असंतोषजनक सेवा हेतु जुर्माना

- (क) यदि माह में किसी दिवस विशेष को सेवा से संतुष्टि न मिलना पाया जाता है तो मासिक अनुबंध राशि का 1% जुर्माना देय होगा।
- (ख) यदि सेवाएँ एक माह में 2 या 4 दिन संतुष्टिपूर्ण नहीं रहती हैं तो मासिक अनुबंध का 2% जुर्माना प्रत्येक त्रुटिपूर्ण दिन के लिए वसूला जाएगा। यदि त्रुटि 4 दिन से अधिक तथा 7 दिनों तक पाई जाती है तो मासिक अनुबंध राशि का 3% जुर्माना प्रत्येक दिन के लिए वसूला जाएगा। यदि कमी 7 दिन से अधिक 10 दिनों तक पाई जाती है तो मासिक अनुबंध राशि का 5% जुर्माना प्रत्येक कमी वाले दिन हेतु वसूला जाएगा।

(ग) यदि सेवा में कमी 10 दिनों से अधिक की अवधि तक निरंतर देखी जाती है तो निदेशक, शु.व.अ.सं. को यह अधिकार होगा की वे बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त कर दें। उस दशा में संविदाकार की जमा जमानत को जब्त किया जाएगा।



(घ) असंतोषजनक सेवा/सेवा में कमी के तहत यह भी सम्मिलित है जैसे -देरी से आना घटिया/गंदी वर्दी में आना, शराब पीकर/बीमार/बिखरे बाल लेकर आना; एक दिन की पूर्व सूचना के बिना अवकाश पर रहना; अनाप-शनाप बोलना/उपस्थिति रजिस्टर/बायोमेट्रिक मशीन में हेर-फेर/छेड़-छाड़; रूखा, अविनम्र व्यवहार, आलसी, कार्य निष्पादन में असहयोग; शु.व.अ.सं. की संपत्ति को क्षति, कार्य घंटों के दौरान धूम्रपान/पान/बीड़ी का सेवन; कार्य घंटों के दौरान अक्सर व्यक्तिगत फोन कॉल पर रहना; किसी तरह की हिंसा, मारपीट, सहकर्मियों के साथ गुटबाजी; अवज्ञा; वित्तीय हेरा फेरी; अनधिकृत व्यक्तियों को शु.व.अ.सं., जोधपुर के परिसर में आने देना, बिना बेज़/परिचयपत्र के आना, शु.व.अ.सं., जोधपुर द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने से मना करना आदि।

11. जोधपुर के बाहर के निविदादाता/बोलीदाता को एक स्थानीय प्रतिनिधि रखना होगा।
12. सफल निविदा दाता आपूर्ति किए गए खाद्य पदार्थ जो कि भोजन तथा पेय हैं जैसे कि चाय, शीतल पेय, अन्य खाद्य सामग्री नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा रात्रि भोज आदि की गुणवत्ता तथा मात्रा व आपूर्ति किए गए खाद्य पदार्थ किन-किन अवयवों का उपयोग कर बना है के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता खान-पान को नियत स्थान पर परोसने तथा स्वास्थ्यकर परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक बार पहले व बाद में भोजन के स्थान तथा बर्तनों की साफ-सफाई के लिए उत्तरदायी होगा।
13. यहाँ उपर्युक्त वर्णित शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए निविदा जारी करने वाले प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि औचक निरीक्षण तथा सफल निविदादाता द्वारा प्रयोग किए जा रहे खाद्य पदार्थ या कच्चे माल के नमूने तैयार किए जाने वाले स्थान अथवा खपत होने वाले स्थान से प्रमाणित प्रयोगशाला में जांच के लिए ले सकते हैं।
14. यदि किसी नियत खाद्य पदार्थ की शिकायत लिखित में प्राप्त होती है तो जिस कैटरिंग को सक्षम प्राधिकारी ने इस अनुबंध समय के लिए चुना है की उस नियत दिन/दिनों की पूरी तथा आंशिक राशि धरोहर राशि में से काटी जा सकेगी।
15. सफल निविदादाता को जरूरत मुताबिक दोपहर का भोजन/रात्रि भोज में मांग के अनुसार मांसाहारी व्यक्तियों के लिए मांसाहार उपलब्ध कराना होगा।
14. सक्षम प्राधिकारी (निदेशक, शु.व.अ.सं., जोधपुर) निविदा के अंतर्गत अनुबंध अवधि के दौरान किसी पदार्थ/पदार्थों तथा आपूर्ति समय घटाने या बढ़ाने अथवा वापिस करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं तथा निविदादाता बिना किसी क्षतिपूर्ति के इसका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
15. संविदाकार अतिथि गृह की स्थायी वस्तुओं के साथ रसोई तथा भोजन कक्ष इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसे सौंपी गई वस्तु सूची के अनुसार प्राप्त करेगा। उनके चोरी होने/क्षतिग्रस्त होने/नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार होगा। चोरी या क्षति से हुए नुकसान को उसके धरोहर राशि से वसूला जायेगा।
16. नियमित एक माह की अवधि से अधिक समय तक यदि वैज्ञानिक छात्रावास के कर्मि (शोधार्थी व अल्प वेतन भोगी आदि) यदि संविदाकर्मी द्वारा संचालित मेस में खाना खाते हैं तो संविदाकर्ता द्वारा दिये गये भोजन के मैनु आदि की मात्रा में फेर-बदल करके या कुछ या संशोधन करके (मांग व आपसी सहमति के अनुसार) तदनुसार कम दर पर भोजनादि उपलब्ध करा सकेगे। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा की अतिथि गृह में उसके स्टाफ के सदस्य अनुशासित रहें, साफ-सुथरी वर्दी पहने व शु.व.अ.सं. अतिथि गृह में अतिथियों एवं सरकारी व्यक्तियों से विनम्रता से बात करें।
17. संविदाकार के कर्मियों हेतु कार्य करने के दौरान अतिथिगृह परिसीमा में या अन्यथा किसी भी चोट, जीवन की हानि या किसी दुर्घटना के लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
18. संविदाकार अपने कामगारों को वर्दी उपलब्ध कराएगा।
19. अतिथियों को कोई भी बासी भोजन (बचा हुआ) परोसा नहीं जाना चाहिए।
20. गैस सिलेंडरों को भरवाने का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा।

21. केवल आईएसआई/एगमार्ग के मानक ब्रांड के तेलों, मसालों तथा खाद्य पदार्थों का उपयोग भोजन पकाने में हो, यह सुनिश्चित करेगा। समय समय पर इसकी जांच की जायेगी।
22. सभी उपयोग होने वाला किराना (खाद्य सामग्री) मानक गुणवत्ता का होना चाहिए।
23. केवल ताजा पेय/फल/सब्जियाँ उपयोग में लाएँ व परोसी जाएँ।
24. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि अतिथिगृह के कमरे, रसोई, भोजन हॉल तथा इसके आस-पास की जगह तथा भोजन परोसे जाने वाली मेज को साफ-सुथरा रखा जाए।
25. प्रभारी, अतिथिगृह की संतुष्टि के अनुसार भोजन श्रेष्ठ स्वास्थ्यकर तरीके से पकाया जाए।
26. संविदाकार अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मियों की केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नियमों व उपनियमों के अनुसार देनदारियों के लिए उत्तरदायी होगा।
27. वैधानिक देनदारी जैसे ईपीफ, ईएसआई, बोनस, कर्मचारी बीमा व सेवा कर आदि की प्रामाणिक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर ही प्रतिपूर्ति होगी।
28. संविदाकार को संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन बैठकों के लिए अनुमोदित दर पर नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा रात्रि भोजन उपलब्ध कराने होंगे। अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होने पर भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा।
29. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के पास संविदाकार के प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने तथा उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने का अधिकार होगा।
30. किसी भी आधार पर ठेके की अवधि के दौरान कीमत में बदलाव करने का दावा या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
31. परिवहन के दौरान होने वाले सभी प्रकार के नुकसान जैसे टूट-फूट तथा खाद्य पदार्थ आदि का कम पड़ जाना आदि निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा संस्थान किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
32. सक्षम प्राधिकारी इस निविदा हेतु स्वयं न्यूनतम दर पर निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। चूंकि विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है।
33. निविदादाता अनुबंध को पूर्णतः अथवा उसके कोई भाग को किसी अन्य पार्टी या पार्टियों के लिए उपभोग नहीं करेगा, ऐसा होने पर सक्षम प्राधिकारी अनुबंध रद्द करने तथा जमा राशि व किसी बकाया भुगतान को जब्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।
34. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में सरकारी कार्यक्रम के दौरान कैटरिंग सर्विस व्यवस्था के लिए ई-मेल या लिखित कार्यदेश प्राप्त होने के बाद निविदादाता कार्यदेश के अनुसार भोजन आदि की आपूर्ति की व्यवस्था नियत समयावधि में करेगा।
35. यदि न्यूनतम दर पर बोली देने वाला सेवा देने से मना कर देता है अथवा कार्यदेश प्राप्त होने के बाद कार्य निष्पादन में असफल रहता है तो कार्यदेश पैनल में अगले उच्चतर बोलीदाता को उसी दर (पूर्व वाली न्यूनतम) पर जारी किया सकेगा। गैर आपूर्तिकर्ता फर्म के ईएमडी, परफोमेंस सिक्योरिटी तथा फर्म के बकाया भुगतान जब्त कर लिए जाएंगे। इस स्थिति में निदेशक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के आदेश अंतिम होंगे।
36. दस्तावेजों की शर्तों में विरोधाभास होने पर इस संबंध में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा स्वीकार्य होगा।
37. कार्य आदेश प्राप्त करने वाली फर्म भोजन परोसने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली क्रॉकरी का प्रयोग करेगा। यदि यह पाया जाता है कि कार्य आदेश प्राप्त करने वाली फर्म प्लास्टिक के फेंकने योग्य वस्तुओं (डिस्पोजेबल) का प्रयोग कर रही है व अनुचित रूप से निस्तारण कर रही है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना उन्हें होने वाले धरोहर राशि से वसूल किया जा सकेगा। डिस्पोजल व प्लास्टिक आदि प्रदूषण कारी वस्तुएँ उपयोग में लेने की मनाही होगी।
38. आफरी के अतिथि गृह, वैज्ञानिक छात्रावास, आफरी के कुछ अस्थायी /स्थायी कर्मचारीगण, बाहर से आगंतुक आफरी के अतिथिगण आदि के लिए उक्त कैटरिंग सेवाए लागू होंगी। व्यक्तिगत आयोजनो (शादी, त्योहार व अन्य निजी) के लिए कैटरिंग सेवाए नहीं दी जा सकेगी।

39. कुछ विशेष सरकारी आयोजन/बैठको/कार्यक्रमों आदि के दौरान विशेष मेनु व दरे हो सकती है जिनके लिए सक्षम अधिकारी आफरी अन्यकिसीभी बाहरी फ़र्म को कोडल फोर्मेलिटी के पश्चात केटरिंग का कार्यदेश दे सकेंगे तथा बाहरी/अठेकेदारी फ़र्म को केटरिंग सेवाए देते वक़्त अनुबंधित फ़र्म द्वारा अतिथि गृह/हॉस्टल/सामुदायिक भवनआदि आयोजन स्थलों परउचित सहयोग दिया जाएगा ।
40. आफरी में गर्मियों मे आगंतुक अक्सर कम आते है तथा बाद में (विशेषकर सर्दियों में) बढोतरी हो जाती है अतः अनुबंधित फ़र्म को नियत दरों पर केटरिंग सेवाए पूरे अनुबंधित अवधि के दौरान जारी रखनी होंगी ।
41. कीचन व केटरिंग स्थलों की सफाई अनुबंधित फ़र्म ही करेगी तथा कचरे का निस्तारण अपने पर ही करेगी।
42. क्रोकरीज की व्यवस्थाउपलब्धताके अनुसारआफरी द्वारा ही की जाएगी तथा और जरूरत होने पर संविदाकर्ता द्वारा क्रॉकरी बर्तन आदि स्वयं के स्तर पर व्यवस्था की जाएगी। खाली सिलेंडर्स भी आफरी में उपलब्ध है जिसे आफरी द्वारा अनुबंधित फ़र्म को मुहैया कराया जाएगा, हालांकि अतिरिक्त जरूरत पड़ी तो फ़र्म अपने स्तर पर व्यवस्था करेगी ।
43. अनुबंध के दौरान संविदाकार द्वारा उक्त सामग्री-सूची प्राप्त की जाएगी। तथा अनुबंधसमापन के समय पुनः सामग्री आफरी को सौंप दी जाएगी। नुकसान/गुम हुई सामग्री की कीमत फ़र्म चुकाएगी ।
44. भोजन कक्ष में खाने की अनुमोदितदरेंप्रदर्शित की जायेगी।
45. अनुबंधसमापन या टर्मिनेट होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा NOC दिये जाने पश्चात ही धरोहर राशि, सेक्यूरिटी मनी आदि फ़र्म को देय होगा ।
46. फ़र्म की सेवाओं की असंतोषजनक साबित होने , अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन आदि होने पर, कर्मियों का बर्ताव खराब होने आदि की स्थिति में एक माह का नोटिस जारी करके आफरी के सक्षम अधिकारी ठेका निरस्त कर सकते है तथा सेक्यूरिटी राशि की भी जब्ती की जा सकती है ।
47. आफरी में कुक व सहायकों के लिए मुफ्त आवास व्यवस्था (अटेंडेंट आवास) उपलब्ध है, केवल बिजली तथापानी के बिलो का भुगतान आवासीयसमिति द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसारसंविदाकारद्वारा किया जाएगा । कुक व सहायकों का आफरी संस्थान में 24 घंटे वास जरूरी होंगा ।
48. संविदाकार नियुक्त कुक व सहायकों के अलावा इनके मेहमान/मित्र/रिश्तेदार को इनके साथ नहीं रुकवायेंगे।
49. संविदाकार केटरिंग आदेश कर्ता/उपभोग कर्ता को बिल मुहैया करायेगी तथा भुगतान प्राप्त करेगी । सरकारी आदेश के अलावा आफरी के व्यक्तियों/ आगंतुको से भुगतान प्राप्ति की ज़िम्मेदारी केवल फ़र्म की रहेगी तथा संस्थान की इस हेतु कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी। कोई आगंतुक बिल नहीं मांगता है या बिल लेना भूल जाता है तोसंविदाकारस्वतः बिल काटकर रिकॉर्ड हेतु अलग से संभाल कर रखेगा।
50. ठेकेदार संस्थान में नियमित रूप से दिये गए केटरिंग कार्यों की गुणवता आदि सेवाओं की रोज मॉनिटरिंग करेगा तथा आफरी के प्राधिकृत व्यक्ति/प्रभारी द्वारा बुलाये जाने पर शीघ्र ही अपनी उपस्थिति देगा।
51. परफ़ोर्मेंस मूल्यांकन : तीन माह कार्य करने के बाद, संविदाकार का इस दस्तावेज़ में वर्णित दिशानिर्देश और नियमों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि संविदाकार आशा अनुरूप कार्य करने और किए वादे पूरे करने में असफल रहता है तो करार अनुज्ञा को रद्द किया जा सकता है।
52. वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति : संविदाकार सभी वैधानिक प्रावधानों जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रम अनुबंध (विनियमन व उन्मूलन) अधिनियम, ईएसआईसी अधिनियम, 1948 तथा ईपीएफ अधिनियम 1952 एवं अन्य सभी श्रम और औद्योगिक क़ानूनों का अपने स्वयं के जोखिम व लागत पर उसके द्वारा लगाए गए सभी कामगारों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करेगा। किसी भी अधिनियम आदि के प्रावधानों के उल्लंघन/अवहेलना पाई जाने पर संस्थान इसके लिए क्षतिपूर्ति कर सकेगा। किसी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन/अवहेलना की दशा में अनुबंध या करार को तुरंत प्रभाव से सामाप्त किया जा सकेगा। एजेंसी सेवा कर विभाग से पंजीकृत हो तथा नियमित तौर पर सेवा कर विवरणी भर रही हो। किसी माह के होने वाले मजदूरी के भुगतान से पूर्व संविदाकार को पूर्ववर्ती माह के पीएफ, ईएसआईसी, सेवा कर (यदि लागू हो) के हुए भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने होंगे।

53. यदि किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद, जो कुछ भी इस अनुबंध के विषय में कार्यों के निष्पादन हेतु कार्य होने के दौरान, कार्य पूर्ण होने के बाद या इसकी समाप्ति के पहले या बाद में पक्षकारों के मध्य होता है तो अनुबंध को समाप्त करने या भंग होने के संबंध में निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के विचार हेतु संज्ञान में लाया जाएगा।
54. दूसरी सभी शर्तों के साथ-साथ आफरी की आरक्षित दरों के कुल योग करने पर सबसे कम दर वाली फर्म को ठेका प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।
57. न्यायाधिकार क्षेत्र : यह अनुबंध भारतीय गणतन्त्र द्वारा विहित कानूनों के तहत विनियमित होगा जिसका न्यायाधिकार क्षेत्र जोधपुर उच्च न्यायालय होगा।


 निदेशक
 भा.वा.अ.शि.प-शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
 जोधपुर-342005 (राजस्थान)

 31/11/23

अनुसूची 'क' (भा.वा.अ.शि.प-आफरी का दायित्व)

अतिथिगृह एवं वैज्ञानिक छात्रावासहाऊसकीपिंग (प्रबन्धक व पर्यवेक्षक) का कार्य

(i) कक्षों की सफाई

क्र० सं.	कार्य	नियत समय
01.	चादरों को बदलना	बेड पर चादर अतिथियों के हर बार प्रस्थान करने के बाद/नए अतिथियों के आने से पूर्व बदलनी होगी। कक्ष में अतिथियों के रहने की दशा में चादर प्रतिदिन बदली जाए।
02.	तकियों के गिलाफ बदलना	तकियों के गिलाफ अतिथियों के हर बार प्रस्थान करने के बाद/नए अतिथियों के आने से पूर्व बदलने होंगे। कक्ष में अतिथियों के रहने की दशा में गिलाफ प्रतिदिन बदले जाएँ।
03.	कंबल के कवर	कंबल के कवर अतिथियों के हर बार प्रस्थान करने के बाद/नए अतिथियों के आने से पूर्व बदलने होंगे। कक्ष में अतिथियों के रहने की दशा में कवर हर चौथे दिन बदले जाएँ।
04.	हाथ साफ करने का तौलिया	कक्ष में किसी के रहने की दशा में हर दिन
05.	स्नान तौलिया	कक्ष में किसी के रहने की दशा में हर दिन

(ii) कक्ष सेवाएँ (ठिकेदार का दायित्व)

क्र० सं.	कार्य	नियत समय
01.	ताजा स्वच्छ जल / बोतल बंद जल / जग / गिलास उपलब्ध कराना	(क) प्रत्येक दिन जब कक्ष में कोई रह रहा हो। (ख) नए अतिथि द्वारा कक्ष लेने पर। (ग) जब कभी अतिथि द्वारा अनुरोध किया जाए।
02.	चाय/काँफी/साँफ्ट ड्रिंक आदि उपलब्ध कराना।	जब कभी अतिथि द्वारा अनुरोध किया जाता है।
03.	नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रि भोज कक्ष में परोसना	जब कभी अतिथि द्वारा अनुरोध किया जाए। प्रातः 08 बजे से रात्रि 10.00 बजे के मध्य (इसके लिए बिल का 10% अतिरिक्त प्रभार कक्ष में भोजन परोसने के लिए लिया जाएगा।
04.	अतिथियों के बुलाने पर हाजिर होना।	प्रातः 7बजे से रात्रि 10:30 तक। रात्रि 10:30 बजे के बाद केवल आपातकालीन कक्ष सेवा हेतु।
05.	भोजन कक्ष के कार्य घंटे	1. सुबह की चाय 06:00 बजे प्रातः से 07:00बजे 2. नाश्ता 08:00बजे प्रातः से 09:30 बजे 3. दोपहर का भोजन 01:00बजे दोपहर से 02:30बजे 4. रात्रिभोजन 08:30बजे रात्रि से 10:00बजे नोट:-निदेशक, शु.व.अ.सं., जोधपुर द्वारा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बदला जा सकता है।

अनुसूची 'ख' (ठिकेदार का दायित्व)

भा.वा.अ.शि.प-शु.व.अ.सं., जोधपुर हेतु नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रि भोजन की दर- सूची

खाद्य पदार्थ तथा मात्रा	जीएसटी (जहां लागू हों) सहित दरें
नाश्ता	दर
01. चाय/काँफी के साथ 04 टोस्ट+मक्खन+जैम	65/- (प्रति व्यक्ति) (01 से 06 तक कोई एक)
02. दूध या चाय/काँफी के साथ कोर्नफ्लेक्स	
03. चाय/काँफी के साथ पोहा	
04. वेज भरवां पराठा+दही/रायता (1प्लेट) के साथ चाय/काँफी (100मिली)	
05. पूरी+ सब्जी तथा चाय/काँफी	
06. 02अंडे/ऑमलेट/04 ब्रेड स्लाइस तथा चाय/काँफी	
07. चाय/काँफी (100मिली)	
दोपहर भोजन व रात्रि भोजन सामान्य-शाकाहारी भोजन	
दाल/छोले/राजमा, मौसम अनुरूप सूखी सब्जियाँ, सादा चावल, रोटी/पूरी, 1-	120/- (प्रति व्यक्ति)
पापड़, अचार, दही (100ग्रा.), सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू इत्यादि	
सामान्य- मांसाहारी भोजन	
अंडा करी/मीट एक कटोरी /चिकन/मछली (2पीस), दाल, सादा	

चावल, रोटी, पापड़, अचार, सलाद (प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू)	175/- (प्रति व्यक्ति)
विशेष दोपहर/रात्रि भोज हेतु शाकाहारी तथा मांसाहारी	
पनीर, मशरूम निर्मित या मटन/मछली/चिकन निर्मित/सूखी सब्जियाँ (मौसम अनुरूप) - 01 दाल (इच्छा अनुसार), दाल - बाटी चूरमा, बेसन गट्टा सब्जी, पंचकुटा सब्जी, गुलाब जामुन सब्जी आदि स्थानीय व्यंजन, दही, रायता, पुलाव, चावल, सजा हुआ सलाद, पापड़, अचार, रोटी/पूरी, मिठाइयाँ (गुलाब जामुन, छैना की मिठाई/रस मलाई (1 पीस)/आईस क्रीम (वनीला/स्ट्रोबेरी/चाँकलेट), फल/फलों का सलाद (मौसम के अनुरूप), सूप (शाकाहारी/मांसाहारी)	250/- (प्रति व्यक्ति)
सॉफ्ट ड्रिंक्स/नमकीन/बिस्किट/फल अन्य कोई खाद्य पदार्थ, यदि कोई हो	प्रिंट मूल्य पर/बाजार भाव

नोट : उपर्युक्त दर जीएसटी (जहां लागू हों) सहित हैं। अन्य सामग्री यदि मंगवाई जाती है तो उसकी दरें एम.आर.पी रेट से वसूली जायेगी।

विशेष - दाल - बाटी चूरमा, बेसन गट्टा सब्जी, पंचकुटा सब्जी, गुलाब जामुन सब्जी आदि स्थानीय व्यंजन सम्मिलित किए जा सकेंगे। @ 250/- (प्रति व्यक्ति)

अनुसूची 'ग' (ठिकेदार के हस्ताक्षर हेतु)

निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्र

मैंने/हमने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर में अतिथि गृह, वैज्ञानिक छात्रावास के संचालन (House Keeping) तथा भोजन व्यवस्था (Mess services) के लिए एक वर्ष हेतु दर अनुबंध कि विवेचित समय - सारिणी में दर्शाये समय अनुसार खोली जानी है के संदर्भ में उपर्युक्त उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों का अवलोकन कर लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

मैं/हम उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की पालना हेतु प्रतिबद्ध हूँ/हैं।

मैंने/हमने निविदा दस्तावेज़ पुस्तिका के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता अथवा उसके प्राधिकृत
व्यक्ति के हस्ताक्षर मय तारीख व मोहर

पता:

.....
.....
दूरभाष: